


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701]
No. 701]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/CHAITRA 1, 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

का.आ. 1163(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ बाईसवां संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, -
 - (क) “वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 31क के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
“31ख. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्यधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
31ग. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37)।”;
 - (ख) “संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “ग. इलेक्ट्रानिक् और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-
“6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर।”;

(ग) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ख. उच्चतर शिक्षा विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/7/2016-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2016

S.O. 1163(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Second Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the SECOND SCHEDULE,-
 - (a) under the heading “MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION (AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG)” after entry 31A, the following entries shall be inserted, namely:-

“31B. The Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and International Conventions on Copyrights.

31C. The Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000 (37 of 2000).”;
 - (b) under the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)”, for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:-

“6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country excluding all matters relating to Semiconductor Complex Limited (SCL), Mohali.”;
 - (c) under the heading “MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION (UCHCHATAR SHIKSHA VIBHAG)”, entry 6 shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. 1/21/7/2016-Cab.]
SANJUKTA RAY, Director